



e-mail

## भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

## निदेशक का कार्यालय

महाराष्ट्र एवं गोवा भू- स्थानिक आंकडा केन्द्र फुले नगर, आलंदी रोड पुणे – 411 006

टेलिफॅक्स: 020-26614665

EPABX: (020) 26685955 / 26685917

ई-मेल : mhgoa.pune.soi@gov.in



## Office of the Director

Maharashtra & Goa Geo-spatial Data Centre
Phule Nagar, Alandi Road, Pune – 411 006
Tele/fax no 020-26614665

EPABX : (020) 26685955/ 26685917

email: mhgoa.pune.soi@gov.in

सं.सी- 212 /11-I(आर.टी.आई)

दिनांक/Dated:- 28 May 2021

## कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय:-पारदर्शी अधिकारी (टांसपेरेंसी ऑफिसर) की नियुक्ति के संबंध में

sub:- APPOINTMENT OF TRANSPARENCY OFFICER-REG.

Ref :- 1. D.O.No.CIC/AT/D/10/000111, dated 15-11-2010

2. D.O.No.CIC/AT/D/10/000111,dated 09-12-2010

3. Incharge, Website Management Ststem, IT Cell, Office of S.G. of India, Dehradun's e-mail, dated 2-12-2016.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(8)(ए) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा के तहत निर्धारित दियत्वों के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का निर्देश दिया है/As Per the Powers vested in the Central Information Commission by Section 19(8) (a) of the RTI Act 2005, the Commission has given direction to the Public Authority to set out the obligations in section 4 of the RTI Act 2005 to be discharged by the public Authority as per the time-limits set out against each activity.

इस अधिनियम के धारा 4 में निर्धारित दायित्वों के कार्यन्वयन के लिए आयोग ने पुन:सभी लोक प्राधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है। पारदर्शी अधिकारी को मुख्य कार्य का सार निम्न है-सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी एवं सिक्रय क्रियान्वयन द्वारा संस्थानिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना। इसमें सिम्मिलित है- प्रभावी अभिलेख प्रबंधन अभिलेखों का अंकीयकरण, नेटवर्किंग तथा सिक्रय सर्वेद्धित प्रकटीकरण/ For the purpose of implementation of these obligations as set out in section 4 of this Act, the Commission has further given direction to all the Public Authorities to designate one of their senior officers as Transparency Officer. The main function of the Transparency Officer may be summarized as-to promote institutional transparency within the public authority through proactive and effective implementation of the provisions of section 4 of the RTI Act 2005. These include effective record management, digitization of records, networking and incremental proactive disclosures. At the same time to ensure high priority and quality in disposing off the RTI applications.

तदनुसार, श्री मनबर सिंह, अधीक्षक सर्वेक्षक को महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्था.आँ.केन्द्र, सर्वे ऑफ इंडिया, फुले नगर, अलंदी रोड, पुणे के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। पारदर्शिता अधिकारी की भूमिका और कार्य का विवरण डी.ओ पत्र संख्या सीआईसी/एटी/डी/10/000111, दिनांक 15.11.2010 और डीओ पत्र संख्या सीआईसी/एटी/डी/10/000111/2 दिनांक - 09.12.2010 में समझाया गया है।

Accordingly, it has been decided to designate Shri Manbar Singh, Superintending Surveyor, as Transparency Officer for M&G GDC, Survey of India, Phule Nagar, Alandi Road, Pune. The details of role and function of the Transparency Officer is explained in the DO letter No. CIC/AT/D/10/000111, dated – 15.11.2010 and DO letter No. CIC/AT/D/10/000111/2, dated – 09.12.2010.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।/The above order is implemented with immediate effect.

सुनिम एस. फतेहपुर

कर्नल

निदेशक

प्रतिलिपिः-1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।

- 2. इंचार्ज, वेबसाइट प्रशासन को सर्वे आँफ इंडिया की वेबसाईट पर अपलोड हेत्।
- 3. अपर महासर्वेक्षक मध्य क्षेत्र जबलपूर को सूचनार्थ।
- 4. श्री मनबर सिंह, अधीक्षक सर्वेक्षक को सूचनार्थ ।
- 5. सूचना पटल।